...ालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

...रण सख्या : 82/2020

श्योपाल पुत्र औंकारलाल जाति बैरवा निवासी पाडलियां तहसील मांगरोल

.......वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील वादी : श्री वीरेन्द्र सिंह

निर्णय दिनांक : 03.01.2022

दायरा दिनांकः 07.09.2020

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 262 खसरा नं0 66 रकबा 1.76 है0, खसरा नं0 148 रकबा 2.13 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.89 है0 व आराजी खाता संख्या 395 खसरा नं0 472 रकबा 0.45 है0, खसरा नं0 473/1237 रकबा 0.04 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.49 है0 वाके ग्राम पाड़लिया तहसील मांगरोल में स्थित है। खाता संख्या 262 में वादी का नाम शोपाल्या पुत्र औंकार एवं खाता संख्या 395 में शोपाल पुत्र औकार दर्ज हो रहा है। जबकि वादी का वास्तविक नाम श्योपाल पुत्र औंकारलाल है। जिसको वादी शोपाल्या एवं शोपाल के स्थान पर श्योपाल पुत्र औंकारलाल दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी का नाम अन्य दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड आदि में श्योपाल पुत्र औंकारलाल दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में शोपाल्या एवं शोपाल के स्थान पर श्योपाल पुत्र औंकारलाल दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम शोपाल्या एवं शोपाल के स्थान श्योपाल पुत्र औंकारलाल दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 07.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांकः–राजस्व/2022/04 दिनांक 03.01.2022 के अनुसार श्योपाल पुत्र औंकारलाल जाति बैरवा को शोपाल्या एवं शोपाल के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उक्त तीनो नाम एक ही व्यक्ति के है अन्य अलग–अलग नही है। शोपाल्या, शोपाल एवं श्योपाल तीनों उक्त व्यक्ति श्योपाल पुत्र औंकारलाल जाति बैरवा एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त का नाम शोपाल्या एवं शोपाल के स्थान पर श्योपाल पुत्र औंकारलाल सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned with CamScanner

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है .रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाहान वादी स्वयं एवं रामभरोस पुत्र गोपीलाल जाति बैरवा वासी पाडलिया के आधार पर आराजी खाता संख्या 262 खसरा नं0 66 रकबा 1.76 है0, खसरा नं0 148 रकबा 2.13 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.89 है0 व आराजी खाता संख्या 395 खसरा नं0 472 रकबा 0.45 है0, खसरा नं0 473/1237 रकबा 0.04 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.49 है0 वाके ग्राम पाड़लिया तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम शोपाल्या पुत्र औंकार एवं शोपाल पुत्र औकार के स्थान पर श्योपाल पुत्र औंकारलाल दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2022 को प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प हिंगोनिया मजमेंआम में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)